SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

प्रकरण क्रमांक 287 / 2017

Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला प्रशासन भिण्ड मoप्रo

name, parentage, caste and address of accused

1. फुलजारी पुत्र दाताराम कुशवाह उम्र 42 साल निवासी स्टेशन रोड वार्ड नं0 18 गोहद चौराहा जिला भिण्ड म.प्र.

The offence complained of, and date of its alleged commission

आप घटना दिनांक 04/11/2017 के 19:35 बजे से 19:50 बजे के मध्य भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सरदार पेटोल पम्प के सामने गोहद में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के आधार पर रूपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलवा रहे थे तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and bis examination [if any]--<u>आरोपी का अभिवाक्</u>

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित किया गया)

- आरोपी / आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की 1. विशिष्टिया पढकर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है । आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नही होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि टहराया जाता है।
- आरोपी / आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी / आरोपीगण 2. को सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 / – रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड में व्यक्तिम होने पर 05 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है। 3.
- प्रकरण में जप्तशुदा 340 / रूपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं लीड मृल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।

स्थान-गोहद

दिनांक-13 / 11 / 17

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण गोहद जिला भिण्ड